न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 59/2023
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2023/159

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
विष्णु पुत्र बाबूलाल, जाति–श्रीमाली, निवासी–पांचला, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	किशनलाल पुत्र हंसराज, वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 12.012.2023

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द पुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 11 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गणपतलाल वैष्णव उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 16 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 16.07.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पांचला मे मुझ प्रार्थी की पैतृक एवं कब्जाकाश्त की खातेदारी भूमि खेत खाता संख्या 75 खसरा नंबर 397, 398 जुमले रकबा 8.80 हैक्टैयर की आई हुई है। नकल जमाबंदी संलग्न दावा पेश है। वादग्रस्त आराजी ग्राम पांचला के नवीन खेत खसरा संख्या 397, 398 पुराने खेत खसरा नंबर 151 रकबा 54 बीघा 7 बिस्वा से दौराने द्वितीय सेटलमेंट नवसृजित किए है। नकल मिलान क्षैत्रफल संलग्न वादपत्र प्रस्तुत है। उक्त वादग्रस्त आराजी वक्त प्रथम सेटलमेंट में मेरे दादाजी पुनमा पुत्र रता जाति श्रीमाली निवासी पांचला के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा मेरे दादाजी पूनमा के फौत होने के पश्चात उक्त आराजी मेरे पिता बाबूलाल पुत्र पुनमा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 173 के एकमात्र विधिक वारिस होने से दर्ज हुई। उक्त भूमि पूनमा के फौत होने के पश्चात अकेले मेरे पिता श्री बाबु के नमा दर्ज हुई थी परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 03 के पति हंसराज पुत्र रता ने षड़यंत्र पूर्वक मेरे पिता बाबुलाल को मुगालते में रहकर संपूर्ण भूमि खसरा नंबर 151 रकबा 54 बीघा 7 बिस्वा में 1/2 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा दिया जबकि आज दिन तक मेरे पिता श्री बाबुलाल ने हंसराज को किसी भी प्रकार से उक्त भूमि हस्तांतरित नहीं की है न ही उक्त भूमि कभी भी बेचान की है। इसके बावजूद भी हंसराज ने षड़यंत्रपूर्वक बंटवाड़ा का हवाला देकर राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर नामान्तरकरण संख्या 318 अपने नाम का भरवाकर संपूर्ण भूमि में 1/2 हिस्से में अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि राजस्व विधि का सुस्थापित नियम है कि खातेदारी खेत का बंटवाड़ा खातेदारों के मध्य ही हो सकता है जो व्यक्ति संयुक्त खातेदार नही है उनको जरिये बंटवाड़ा के कोई भूमि नहीं दी जा सकती है। मेरे पिता बाबुलाल पुत्र पुनम की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके पीछे मैं एकमात्र विधिक वारिस एवं जायज उतरधिकारी हूं। मोके पर मेरा उक्त भूमि पर कब्जा लगातार चला आ रहा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:06:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मैं उक्त आराजी का उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा हूं इसलिए मैं अप्रार्थी किशनलाल रमेश कुमार एवं सविता के नाम दर्ज 8.80 हैक्टैयर भूमि में 3/10 हिस्से पर खातेदारी प्राप्त करने का विधिसम्मत अधिकारी हूं। उक्त वादग्रस्त आराजी मुझ प्रार्थी की पुश्तैनी, कब्जासुदा खातेदारी भूमि है तथा मौके पर वक्त पीढ़ियों से लगातार मेरा कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त भूमि आज तक मेरे या मेरे पिता या दादा द्वारा कभी भी हस्तांतरित नहीं की गई है। इसके बावजूद भी विधि विरूद्व रूप से अप्रार्थी के नाम दर्ज हो गई है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला मेरे पक्ष मे बनता है। मुझ प्रार्थी द्वारा भूमि में खाद वगैरह डालकर समतल कराकर उपजाउ व उपयोगी बनाया है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण अगर मुझे मेरे कब्जासुदा व खातेदारी की भूमि से बिना किसी विधिसम्मत प्रक्रिया के जोर जबरदस्ती से विधिविरूद्व बेदखल करने में सफल हो गए या आगे से आगे वादग्रस्त आराजी का बैचान कर हस्तांतरण कर दिया तो हमे अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन द्रव्य में किया जाना मुमकिन नहीं होगा। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि वांके मौजा सरहद ग्राम पांचला में स्थित मुझ प्रार्थी की पैतृक एवं कब्जाकाश्त की खातेदारी भूमि खेत खाता संख्या 75 खसरा नंबर 397, 398 जुमले रकबा 8.80 हैक्टेयर में इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक प्रार्थी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमावें कि वे मेरे 3/10 हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं करें तथा हमारे शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें एव न ही किसी अन्य से करावें तथा आगे किसी को बैचान या हस्तांतरण नहीं कर रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें ।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अ[illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं हो[illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक क[illegible] की जाकर दाखिल [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:31 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **16.07.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर, सांचौर
सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner